

Papers laid on the Table of the House

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): Hon. Speaker, Sir, with your permission, on behalf of Shri Arjun Munda, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 338A (6) of the Constitution:-

(i) Thirteenth Annual Report of the National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) Action Taken Memorandum of the Thirteenth Report of the National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi, for the year 2017-2018.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 10208/17/23]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): Hon. Speaker, Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under sub-section (3) of Section 63 of the Competition Act, 2002:-

(i) The Competition Commission of India (Number of Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General, other officers and employees, their manner of appointment, qualification, salary, allowances and other terms and conditions of

service) Amendment Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.587(E) in Gazette of India dated 4th August, 2023.

(ii) The Competition Commission of India (Number of Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General, other officers and employees, their manner of appointment, qualification, salary, allowances and other terms and conditions of service) Second Amendment Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.732(E) in Gazette of India dated 11th October, 2023.

(iii) The Competition (Form of Publication of Guidelines) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.795(E) in Gazette of India dated 26th October, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 10209/17/23]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Competition Commission of India, New Delhi, for the year 2022-2023.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) of the Competition Commission of India, New Delhi, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10210/17/23]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 241 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016:-

(i) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. IBBI/2023-2024/GN/REG102 in Gazette of India dated 20th July, 2023.

(ii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. IBBI/2023-2024/GN/REG103 in Gazette of India dated 20th July, 2023.

(iii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. IBBI/2023-2024/GN/REG104 in Gazette of India dated 18th September, 2023.

(iv) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professionals Agencies) (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. IBBI/2023-2024/GN/REG105 in Gazette of India dated 18th September, 2023.

(v) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. IBBI/2023-2024/GN/REG106 in Gazette of India dated 18th September, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 10211/17/23]

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10212/17/23]

(2) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10213/17/23]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 49 ड. (5) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.3358(अ) जो दिनांक 8 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा प्रबंधन प्राधिकरण को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की उसमें उल्लिखित धाराओं एवं इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों और प्रकार्यों को उक्त अधिसूचना के कॉलम (3) में उल्लिखित प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के संबंध में अधिसूचना के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को प्रत्यायोजित किया जाना अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 10214/17/23]

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जल शुद्धिकरण प्रणाली (उपयोग का विनियमन) नियम, 2023 जो दिनांक 10 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 833(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पर्यावरण (संरक्षण) पांचवां संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 8 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 826(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 10215/17/23]

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3840(अ) जो दिनांक 31 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 3581(अ) जो दिनांक 10 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या का.आ. 6071(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 4751(अ) जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए, इसमें उल्लिखित व्यक्तियों से मिलकर बने दमन और दीव तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 4798(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए, इसमें उल्लिखित व्यक्तियों से मिलकर बने आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन को अधिसूचित किया गया है।

(4) उपर्युक्त (3) की मद सं. (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10216/17/23]

(5) (एक) गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10217/17/23]

(7) (एक) गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10218/17/23]

(8) (एक) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10219/17/23]

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन और बागवानी विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2019-2020 और 2020-21 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन और बागवानी विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2019-2020 और 2020-21 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10220/17/23]

(12) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 49 ज(4) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.3547(अ) जो दिनांक 8 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का अध्याय पांच ख के प्रयोजनार्थ इसमें उल्लिखित, प्रवेश और निकास वाले पत्तनों को अभिहित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 10221/17/23]

(13) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 49 च(1) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.3548(अ) जो दिनांक 8 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इसमें उल्लिखित, संस्थानों

को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अध्याय पांच ख के प्रयोजनार्थ वैज्ञानिक प्राधिकरण के रूप में अभिहित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 10222/17/23]

(14) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 10 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.4994(अ) जो दिनांक 21 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों और उप-कार्यालयों में कार्यरत संयुक्त सचिव और वैज्ञानिकों (ग्रेड ?बी? से ग्रेड ?जी?) को प्रवेश/निरीक्षण तथा नमूने के संग्रहण के लिए प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 10223/17/23]

(15) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.4995(अ) जो दिनांक 21 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों और उप-कार्यालयों में कार्यरत संयुक्त सचिव और वैज्ञानिकों (ग्रेड ?बी? से ग्रेड ?जी?) को प्रवेश/निरीक्षण तथा नमूने के संग्रहण के लिए प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 10224/17/23]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10225/17/23]

(2) (एक) अरूण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अरूण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अरूण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10226/17/23]

(3) धन शोधन अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) धन-शोधन का निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) दूसरा संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 4 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.652(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) धन-शोधन का निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) तीसरा संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.745(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10227/17/23]

(4) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 4086(अ) जो दिनांक 15 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना संख्या 68/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जो दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आयात और निर्यात माल हेतु विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा या भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 4256(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) अधिसूचना संख्या 73/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जो दिनांक 5 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आयात और निर्यात माल हेतु विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा या भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 4507(अ) जो दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) अधिसूचना संख्या 76/2023-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आयात और निर्यात माल हेतु विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा या भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 4631(अ) जो दिनांक 23 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 4752(अ) जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) अधिसूचना संख्या 81/2023-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो दिनांक 2 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आयात और निर्यात माल हेतु विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा या भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ. 4938(अ) जो दिनांक 16 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) अधिसूचना संख्या 83/2023-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो दिनांक 15 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आयात और निर्यात माल हेतु विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा या भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) अधिसूचना संख्या 84/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जो दिनांक 16 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आयात और निर्यात माल हेतु विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा या भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का.आ. 5061(अ) जो दिनांक 28 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ. 5118(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) आयात शुल्क का आस्थगित भुगतान (संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 3 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.585(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सोलह) सा.का.नि. 792(अ) जो दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 55(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 872(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 328(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10228/17/23]

(5) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3421(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 123 के उपबंधों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 3422(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 137 से 162 के उपबंधों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 3423(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय भारत संघ बनाम फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, एसएलपी(सी) सं. 32709-32710/2018 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुरूप पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पालन की जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 3424(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय कतिपय माल के विनिर्माण में शामिल पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पालन की जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 574(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26.12.2022 की अधिसूचना संख्या 27/2022 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 575(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2 करोड़ रुपये तक के समग्र टर्नओवर वाले पंजीकृत व्यक्ति को उक्त वित्त वर्ष हेतु वार्षिक विवरणी भरने से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 576(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 158 के अंतर्गत लेखा संकलक को प्रणाली के रूप में अधिसूचित करना है जिससे सामान्य पोर्टल पर सूचना को साझा किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 577(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 24(नौ) के अंतर्गत कतिपय दशाओं के अध्यक्षीन, ईसीओज के माध्यम से माल की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति हेतु अनिवार्य पंजीकरण की बाध्यता से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.578(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन सभी वस्तुओं या सेवाओं को अधिसूचित करना है, जिन्हें एकीकृत कर के भुगतान पर निर्यात किया

जा सकता है और जिन पर ऐसी वस्तुओं या सेवाओं का आपूर्तिकर्ता भुगतान किए गए कर की वापसी का दावा कर सकता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ.3420(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मेसर्स बीएसएच हाऊसहोल्ड एप्लायंसेज मैनुफेक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस के संबंध में सामान्य निर्णायक प्राधिकारी नियुक्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.588(अ) जो दिनांक 4 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स द्वारा कंपोजिशन करदाताओं द्वारा उनके माध्यम से की जाने वाली वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में पालन की जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.589(अ) जो दिनांक 4 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा उनके माध्यम से माल की आपूर्ति के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स द्वारा पालन की जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) केन्द्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2023, जो दिनांक 4 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.590(अ) में प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) केन्द्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2023, जो दिनांक 6 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.657(अ) में प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) का.आ.4090(अ) जो दिनांक 18 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिनका आशय मेसर्स इंकुआट इंफ्रासोल प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में सामान्य निर्णायक प्राधिकारी नियुक्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ.4219(अ) जो दिनांक 25 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा अधिसूचना संख्या 3424(अ) दिनांक 31 जुलाई, 2023 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि.704(अ) जो दिनांक 29 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अक्टूबर, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया, जिससे केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 के उपबंध लागू होंगे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि.705(अ) जो दिनांक 29 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 15 की उप-धारा (5) के अंतर्गत ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रदायन, ऑनलाइन मनी गेमिंग के अलावा अन्य ऑनलाइन गेमिंग प्रदायन और कैसीनो में कार्रवाई योग्य दावों के प्रदायन को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि.706(अ) जो दिनांक 29 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 15 नवंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1422(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2023, जो दिनांक 29 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.707(अ) में प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2023, जो दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.798(अ) में प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) का.आ.4767(अ) जो दिनांक 2 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 मार्च, 2023 तक दिए गए मांग आदेशों के विरुद्ध अपील दायर करने में विलंब की माफी के लिए एक विशेष प्रक्रिया अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) का.आ.4073(अ) जो दिनांक 14 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 राज्य पीठों के गठन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि.846(अ) जो दिनांक 17 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 दिसंबर, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.903(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों) नियम, 2023 जो दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.793(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 10229/17/23]

(6) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति: -

(एक) सा.का.नि.708(अ) जो दिनांक 29 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अक्टूबर, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया, जिस दिन एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 के उपबंध लागू होंगे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.709(अ) जो दिनांक 29 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रदायन को माल प्रदायन के रूप में अधिसूचित करना है, जिनके आयात पर एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 55 की उप-धारा (1) के अंतर्गत एकीकृत कर लगाया और एकत्र किया जाएगा, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.710(अ) जो दिनांक 29 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केंद्रीय कर, बेंगलुरु पश्चिम के प्रधान आयुक्त और उनके अधीनस्थ सभी अधिकारियों को ऑनलाइन मनी गेमिंग के विदेशी प्रदाता के लिए ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रदायन के मामले में पंजीकरण देने के लिए अधिकृत अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.797(अ) जो दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एकीकृत माल और सेवा कर रूट के अंतर्गत रिफंड के लिए पात्र पंजीकृत व्यक्ति की आपूर्ति और श्रेणी को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10230/17/23]

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:-

(एक) सा.का.नि.836(अ) जो दिनांक 16 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.584(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.837(अ) जो दिनांक 16 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.492(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.871(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.584(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10231/17/23]

(8) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:-

(एक) सा.का.नि.845(अ) जो दिनांक 17 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए चीन गणराज्य से उत्पन्न या निर्यात किए गए "1.8 एमएम से 8 एमएम की मोटाई और 0.4 वर्ग मीटर या उससे कम व्यास वाले घरेलू उपकरणों के लिए प्रबलित काँच" के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.853(अ) जो दिनांक 21 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी प्रथम सनसेट समीक्षा अंतिम निष्कर्षों के अनुसार चीन गणराज्य से "सिंथेटिक ग्रेड जिओलाइट 4ए (डिटर्जेंट ग्रेड)" के आयात पर 5 साल के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.860(अ) जो दिनांक 22 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मौजूदा शुल्क तालिका को संशोधित करने के लिए चीन गणराज्य से "कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर प्राकृतिक अभ्रक-आधारित मोती औद्योगिक रंगद्रव्य" के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10232/17/23]

(9) अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 32 के अंतर्गत 5 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.655 (अ) में प्रकाशित अधिकरण (सेवा की शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2023 की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10233/17/23]

(10) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उप-धारा (3) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 24 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन 2023/139 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सुविधा और शिकायत निवारण तंत्र) (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 17 अगस्त, 2023 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 22 अगस्त, 2023 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/148 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 10234/17/23]

(11) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति: -

(एक) आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 1 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.579(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 9 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.595(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (16 वां संशोधन) नियम, 2023 जो 16 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 607(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (17 वां संशोधन) नियम, 2023 जो 17 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 604(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (18 वां संशोधन) नियम, 2023 जो 18 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 615(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (19 वां संशोधन) नियम, 2023 जो 28 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 630(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) आयकर (20 वां संशोधन) नियम, 2023 जो 31 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 637(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) आयकर (21 वां संशोधन) नियम, 2023 जो 25 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 685(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) आयकर (22 वां संशोधन) नियम, 2023 जो 27 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 697(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) आयकर (23 वां संशोधन) नियम, 2023 जो 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 702(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) आयकर (24 वां संशोधन) नियम, 2023 जो 10 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 728(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) आयकर (25 वां संशोधन) नियम, 2023 जो 16 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 740(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) आयकर (26 वां संशोधन) नियम, 2023 जो 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 786(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10235/17/23]

(12) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 11 क के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.4291(अ) जो 30 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10236/17/23]

(13) केंद्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.3252 (अ) जो दिनांक 20 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मैसर्स एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड को, जिसका पंजीकृत कार्यालय एलायंस भवन, डोमेस्टिक टर्मिनल- I, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली - 110037 में है, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (5) के प्रयोजनार्थ "अभिहित भारतीय वाहक" के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10237/17/23]

(15) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्का निर्माण (कैवल्यधाम के शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023 जो दिनांक 27 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 699 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (रानी दुर्गावती की 500 वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023 जो दिनांक 3 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 716 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिक्का निर्माण (सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज, पुणे की प्लेटिनम जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023 जो दिनांक 29 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 867 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सिक्का निर्माण (राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला, पुणे की प्लेटिनम जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023 जो दिनांक 17 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 844 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) सिक्का निर्माण (संत मीरा बाई के 525 वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023 जो दिनांक 21 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 855 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 10238/17/23]

(16) सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (तीसरा संशोधन) योजना, 2023 जो 24 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.620(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा (दूसरा संशोधन) योजना, 2023 जो 24 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.621(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा (तीसरा संशोधन) योजना, 2023 जो 6 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.818(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) वरिष्ठ नागरिक बचत (चौथा संशोधन) योजना, 2023 जो 9 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 829(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(पाँच) राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा (चौथा संशोधन) योजना, 2023 जो 9 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.830(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(छह) लोक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2023 जो 9 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.831(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[Placed in Library, See No. LT 10239/17/23]

(17) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना संख्या 329 /आईएफएससीए/बुलियन एमआईआईएस /2023-4 जो 27 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 9 दिसंबर, 2022 की अधिसूचना सं.329 / आईएफएससीए / बुलियन एमआईआईएस/2023-24 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र बीमा कार्यालय द्वारा निवेश) (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2023-24/जीएन/आरईजी042 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 10240/17/23]

(18) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 24 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/140 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 22 अगस्त, 2023 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/147 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेश सलाहकार) (संशोधन) विनियम, 2023, जो दिनांक 9 अक्टूबर, 2023 को अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/154 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, जो दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/156 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 10241/17/23]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20 ड की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्र संरक्षित संस्मारक राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियाँ 2023 - पिक्चर गैलरी, हुसैनाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

(दो) केंद्र संरक्षित संस्मारक राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियाँ 2023 - जुमा मस्जिद, हरदोई रोड, हुसैनाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

(तीन) केंद्र संरक्षित संस्मारक राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियाँ 2023 - चतुर्दश देवता मंदिर, त्रिपुरा ।

(चार) केंद्र संरक्षित संस्मारक राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियाँ 2023- मच्छी भवन किला के पास कब्रिस्तान, लखनऊ।

[Placed in Library, See No. LT 10242/17/23]

(2) (एक) अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10243/17/23]

(4) (एक) पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10244/17/23]

(5) (एक) उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10245/17/23]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) (एक) समग्र शिक्षा केरल, तिरुवनन्तपुरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा केरल, तिरुवनन्तपुरम के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10246/17/23]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10247/17/23]

(2) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अटल बिहारी वाजपेयी - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अटल बिहारी वाजपेयी - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10248/17/23]

(3) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान श्री सिटी, चित्तूर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान श्री सिटी, चित्तूर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10249/17/23]

(4) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10250/17/23]

(5) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10251/17/23]

(7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 जो 8 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 1-1/2023 (आईसी-एफएचईआई) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10252/17/23]

(8) दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 की धारा 32 की उप-धारा (5) के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) संविधियां, 2023 जो 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.4-1/2023-सीयू.II. में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10253/17/23]

(9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एडसिल इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एडसिल इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10254/17/23]

(10) केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 44 की उप-धारा (2) के अंतर्गत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली के अध्यादेश, जो 17 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 27021/2022-स्था./ के.सं.वि./ अध्यादेश में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10255/17/23]

(11) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड तथा शिक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 तथा वर्ष 2024-2025 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10256/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD):

Hon. Speaker, Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the State Bank of India, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the State Bank of India, New Delhi, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10257/17/23]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Housing Bank, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Housing Bank, New Delhi, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10258/17/23]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pension Fund Regulatory and Development Authority, New Delhi, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10259/17/23]

(4) A copy of the separate Audit Report (Hindi and English versions) of the Stressed Assets Stabilisation Fund, Mumbai for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 10260/17/23]

(5) A copy of the 53rd Valuation Report (Hindi and English versions) of the Life Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year ended 31st March, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 10261/17/23]

(6) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the General Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the General Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10262/17/23]

(b) (i) Review by the Government of the working of the United India Insurance Company Limited, Chennai, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the United India Insurance Company Limited, Chennai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10263/17/23]

(c) (i) Review by the Government of the working of the Oriental Insurance Company Limited, New Delhi, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the Oriental Insurance Company Limited, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10264/17/23]

(d) (i) Review by the Government of the working of the New India Assurance Company Limited, Mumbai, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the New India Assurance Company Limited, Mumbai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10265/17/23]

(e) (i) Review by the Government of the working of the National Insurance Company Limited, Kolkata, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the National Insurance Company Limited, Kolkata, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10266/17/23]

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 60 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981:-

(i) The National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) General Regulations, 2008 published in Notification No. 45 in weekly Gazette of India dated 14th November, 2008.

(ii) The National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General (Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. 43 in weekly Gazette of India dated 24th October, 2015.

(iii) The National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General (Amendment) Regulations, 2018, published in Notification No. NB.Secy/C-4/2018-19. in Gazette of India dated 23rd May, 2018.

(8) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 10267/17/23]

(9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 114A(3) of the Insurance Act, 1938 and Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999:-

(i) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. IRDAI/Reg/5/193/2023. in Gazette of India dated 23rd August, 2023.

(ii) Notification No. F. No. IRDAI/IAC/6/194/2023. published in Gazette of India dated 23rd August, 2023 notifying Reconstitution of Insurance Advisory Committee.

[Placed in Library, See No. LT 10268/17/23]

(10) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Industrial Investment Bank of India Limited (Voluntary winding up of IIBI to the Equity shareholders of IIBI), Kolkata, for the quarter ended 30.06.2023.

(ii) Liquidator's Report on the Industrial Investment Bank of India Limited (Voluntary winding up of IIBI to the Equity shareholders of IIBI), Kolkata, for the quarter ended 30.06.2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10269/17/23]

(b) (i) Review by the Government of the working of the Industrial Investment Bank of India Limited (Voluntary winding up of IIBI to the Equity shareholders of IIBI), Kolkata, for the quarter ended 30.09.2023.

(ii) Liquidator's Report on the Industrial Investment Bank of India Limited (Voluntary winding up of IIBI to the Equity shareholders of IIBI), Kolkata, for the quarter ended 30.09.2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10270/17/23]

(11) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970:-

(i) The Bank of Baroda (Employees?) Pension (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. HO:HRM:PEN:115:3263(E) in Gazette of India dated 7th November, 2023.

(ii) The Bank of India (Employees?) Pension (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. HO:HRM:TBD:2023-24:319 in Gazette of India dated 19th October, 2023.

(iii) The Bank of Maharashtra (Employees?) Pension (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. AX1/ST/Pension Reg./1524/2022-23 in Gazette of India dated 19th October, 2023.

(iv) The Canara Bank (Employees?) Pension (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. HRW IRS 228A PS 886 2023 in Gazette of India dated 9th August, 2023.

(v) The Central Bank of India (Employees?) Pension (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. 395(E) in Gazette of India dated 11th October, 2023.

(vi) The Indian Bank (Employees?) Pension (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. Pen/01/2023(E) in Gazette of India dated 11th October, 2023.

(vii) The Indian Overseas Bank (Employees?) Pension (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. HRMD/PEN/001/2023 in Gazette of India dated 8th November, 2023.

(viii) The Punjab National Bank (Employees?) Pension (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. HO:Pension/Misc/2023 (E) in Gazette of India dated 11th August, 2023.

(ix) The Punjab and Sind Bank (Employees?) Pension (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. PSB/PEN/AMEND/1/2023 (E) in Gazette of India dated 4th August, 2023.

(x) The UCO Bank (Employees?) Pension (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. HOPSD/ Pension/ 2023-24/67 in Gazette of India dated 31st August, 2023.

(xi) The Union Bank of India (Employees?) Pension (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. UBI/HR/22300 (E) in Gazette of India dated 18th October, 2023.

(xii) The Bank of India Officer Employees? (Discipline and Appeal) Amendment Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. HO:HR:IL:2023-2024:422 in Gazette of India dated 3rd November, 2023.

(xiii) The Bank of Baroda Officer Employees? (Discipline and Appeal) Amendment Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. BCC:HRM:115:403 in Gazette of India dated 3rd August, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 10271/17/23]

(12) A copy of the National Bank for Financing Infrastructure and Development (terms and conditions of service of officers and employees?) Regulations, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. F.No. 01/NaBFID/2023-24. in Gazette of

India dated 6th October, 2023 under Section 33 of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021.

[Placed in Library, See No. LT 10272/17/23]

(13) A copy of the Reserve Bank of India Pension (Amendment) Regulations, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. CO.HRMD No. S9781/21.01.000/2023-24 in Gazette of India dated 8th November, 2023 under Section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934.

[Placed in Library, See No. LT 10273/17/23]

(14) A copy each of the following Annual Reports (Hindi and English versions) under sub-section (8) of Section 10 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and 1980:-

(i) Report on the working and activities of the Bank of Baroda for the year 2022-2023, alongwith Accounts and Auditor?s Report thereon.

(ii) Report on the working and activities of the Union Bank of India for the year 2022-2023, alongwith Accounts and Auditor?s Report thereon.

(iii) Report on the working and activities of the Bank of Maharashtra for the year 2022-2023, alongwith Accounts and Auditor?s Report thereon.

(iv) Report on the working and activities of the Canara Bank for the year 2022-2023, alongwith Accounts and Auditor?s Report thereon.

(v) Report on the working and activities of the Central Bank of India for the year 2022-2023, alongwith Accounts and Auditor?s Report thereon.

(vi) Report on the working and activities of the Indian Bank for the year 2022-2023, alongwith Accounts and Auditor?s Report thereon.

(vii) Report on the working and activities of the Indian Overseas Bank for the year 2022-2023, alongwith Accounts and Auditor?s Report thereon.

(viii) Report on the working and activities of the Punjab National Bank for the year 2022-2023, alongwith Accounts and Auditor?s Report thereon.

(ix) Report on the working and activities of the Punjab and Sind Bank for the year 2022-2023, alongwith Accounts and Auditor?s Report thereon.

(x) Report on the working and activities of the UCO Bank for the year 2022-2023, alongwith Accounts and Auditor?s Report thereon.

(xi) Report on the working and activities of the Union Bank of India for the year 2022-2023, alongwith Accounts and Auditor?s Report thereon.

(15) A copy each of the Review (Hindi and English versions) for the year 2022-2023 of the Banks mentioned at (14) above.

[Placed in Library, See No. LT 10274/17/23]

(16) A copy each of the following Annual Reports and Accounts (Hindi and English versions) of the Regional Rural Banks for the year ended the 31st March, 2022 together with Auditor?s Report thereon:-

(i) Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank, Hanumakonda

(ii) Andhra Pragathi Grameena Bank, Kadapa

(iii) Arunachal Pradesh Rural Bank, Naharlagun

(iv) Aryavart Bank, Lucknow

(v) Assam Gramin Vikash Bank, Guwahati

(vi) Bangiya Gramin Vikash Bank, Murshidabad

(vii) Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, Ajmer

(viii) Baroda Gujarat Gramin Bank, Vadodara

(ix) Baroda UP Bank, Gorakhpur

- (x) Chaitanya Godavari Grameena Bank, Guntur
- (xi) Chhattisgarh Rajya Gramin Bank, Raipur
- (xii) Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna
- (xiii) Ellaquai Dehati Bank, Srinagar
- (xiv) Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi
- (xv) J&K Grameen Bank, Jammu
- (xvi) Jharkhand Rajya Gramin Bank, Ranchi
- (xvii) Karnataka Gramin Bank, Ballari
- (xviii) Karnataka Vikas Grameena Bank, Dharwad
- (xix) Kerala Gramin Bank, Mallappuram
- (xx) Madhya Pradesh Gramin Bank, Indore
- (xxi) Madhyanchal Gramin Bank, Sagar
- (xxii) Maharashtra Gramin Bank, Aurangabad
- (xxiii) Manipur Rural Bank, Imphal
- (xxiv) Meghalaya Rural Bank, Shillong
- (xxv) Mizoram Rural Bank, Aizawl
- (xxvi) Nagaland Rural Bank, Kohima
- (xxvii) Odisha Gramya Bank, Bhubaneswar
- (xxviii) Paschim Banga Gramin Bank, Howrah
- (xxix) Prathama U.P. Gramin Bank, Moradabad
- (xxx) Puduvai Bharthiar Grama Bank, Puducherry
- (xxxi) Punjab Gramin Bank, Kapurthala
- (xxxii) Rajasthan Marudhara Gramin Bank, Jodhpur
- (xxxiii) Saptagiri Grameena Bank, Chittoor

(xxxiv) Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak

(xxxv) Saurashtra Gramin Bank, Rajkot

(xxxvi) Tamil Nadu Grama Bank, Salem

(xxxvii) Telangana Grameena Bank, Hyderabad

(xxxviii) Utkal Grameen Bank, Balangir

(xxxix) Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar

(xl) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzaffarnagar

(xli) Uttarakhand Gramin Bank, Dehradun

(xlii) Vidharbha Konkan Gramin Bank, Nagpur

[Placed in Library, See No. LT 10275/17/23]

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Life Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year 2022- 2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Life Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10276/17/23]

_____ -

-

12.04 hrs